संख्या– 405 /XIX/पुर्नवि0/2005–24/खाद्य/2004

प्रेषक,

एम0सी0उप्रेती,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

देहरादूनः दिनाकः 29 मार्च, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में लेखा शीर्षक '3475' के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः120/नि0वि0मा0वि0/ब0पुर्न0/2005, दिनॉकः 15 मार्च, 2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 191/24–खा0अनु0–ले0अनु0/2004, दिनॉकः 05 अप्रैल, 2004, संख्याः 594/XIX/24–खा0अनु0/2004, दिनॉकः 06 अगस्त, 2004, तथा संख्याः 718/XIX/24–खा0अनु0–ले0अनु0/2004, दिनॉकः 13 सितम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान (बाट माप) विभाग हेतु मानक मद 13–टेलीफोन पर व्यय हेतु रूपये 10,000.00 तथा मद 26–मशीनें और साज्जा/उपकरण और संयत्र हेतु रूपये 3,50,000.00 अर्थात् कुल रूपये 3,60,000.00 (रू0 तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सगक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

.....2/–

5. फैक्स व कापियर में केवल तोशिबा के ही डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दर प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें फैक्स की दर अत्यधिक है जबकि इसकी आधी से भी कम लागत के फैक्स उपलब्ध हो रहे है। अतः नियत्रंक फैक्स आदि के अन्य फर्मो से भी डी0जी0एस0एण्ड की दरें प्राप्त कर तब उनमें से कम लागत की व उपयोगी फैक्स क्रय करेंगे, ताकि शासन द्वारा किसी मद में अनावश्यक व्यय रोके जाने से बचत हों।

6. उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय।

7. उपकरण, फर्नीचर, मशीनों का क्रय पदधारक/कार्यालय के मानक के अनुसार डी0जी0एस0एन0डी0 की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपान करते हुए किया जायेगा।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–00–अयोजनेत्तर–106–भार और माप का विनियमन–03–अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम –5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–956/वि0अनु0–3 2005, दिनॉकः 22 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 605 (1)/ **XIX**/पुनर्विनियोग/2005–24/खाद्य/2004, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त जिलधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांलच।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, हल्द्वानी/देहरादून।
7. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
9. समन्वयक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग–2004–05 विवरण पत्र

अनुदान संख्या–25

प्रशासनिक विभाग –विधिक माप विज्ञान विभाग, नियंत्रक अधिकारी– सचिव, –खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर में

(धनराशि हजार रूपये में

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–भार और माप का विनियमन –03–अधिष्ठान व्यय–00 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व्यय –400	–	–	400(क)	13– टेलीफोन पर व्यय10 (ख) 26–मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र 350 (ग)	35 560	– –	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) अधिक देयक प्राप्त होने के कारण। (ग) कार्यालय हेतु क्रय उपकरण आदि आवश्यक होने के कारण बजट प्राविधान कम होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता हुई है।
योग 400			400	360	595	–	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(एम0सी0 उपेती)
अपर सचिव।